

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/100

दायरा तिथि : 21.07.2023

आदेश तिथि : 03-10-2023

प्रार्थी :-

मुलचंद गौलेच्छा पुत्र हस्तीमल जाति जैन निवासी 61, बापु नगर पाली  
तहसील पाली जिला पाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 03-10-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1172 रकबा 4.6650 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1372/1171 रकबा 0.8300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1045 दिनांक 18.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :-


1. यह कि ग्राम फालना गांव के खसरा नंबर 1172 रकबा 4.6650 हैक्टर किस्म चाही दोगम जाव दोगम भूमि प्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र हुकुमसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/4 निवासी पाली, ममता पत्नि पवनकुमारमंसाली हि. 14 जाति जैन निवासी पाली, मूलचन्द गौलेच्छा पुत्र हस्तीमल गौलेच्छा जाति जैन हि. 14 निवासी पाली व विनोदसिंह पुत्र बजरंगसिंह हि. 14 जाति राजपूत निवासी पाली के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित भूमि में से ही आवागमन किया जा रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित भूमि का खसरा नंबर 1373/1172 रकबा 0.8300 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से विधालय हेतु आवंटन का प्रस्ताव भेजा था जो पुनः उक्त रास्ते की भूमि को छोड़कर पुनः आवंटन हेतु भिजवाना है। जिसमें उक्त रास्ते की भूमि को छोड़कर रकबा आवंटित किया जाना है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1372/1171	0.8300 हैक्टर	बारानी दोगम	9x38= 342 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम फालना गांव की डी.एल.सी. दर 394816 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की संभावना है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पत्रांक सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी  
बाली (जिला-पाली) राज. लगातार.....02



// 02 //  
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023 / 100**  
 अनवान मुलचंद गौलेच्छा वनाम शास्कार  
 अंतर्गत धारा 261 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

10/02/23  
 17  
 10/02/23

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1172 रकबा 4.6650 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1045 दिनांक 18.09.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1372/1171 रकबा 0.8300 में से 342 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 394816/-रुपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1372/1171	0.8300	9x38=342 वर्गमीटर	40	13680x2= 27360	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 27360/- (अक्षरे सताईस हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

क्रमांक/कोर्ट/2023/627-3)  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

- 1.तहसीलदार, बाली
- 2.निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
- 3.पटवारी हल्का, फालना गांव
- 4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
- 5.आवेदक मुलचंद गौलेच्छा पुत्र हरतीमल जाति जैन निवासी 61, बापु नगर पाली तहसील पाली जिला पाली को सूचनार्थ।



(श्री भार्गव राम )  
 अ.ए.एस.  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली  
 दिनांक : 03-10-2023  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**बाली (जिला-पाली) राज**

उपखण्ड अधिकारी, बाली  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाली (जिला-पाली) राज.